

सिविल जज (सी0डि0) / त्वरित न्यायालय
गाजियाबाद

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय त्वरित न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) गाजियाबाद
वाद सं0-719 / 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड गाजियाबाद द्वारा श्री
दीनानाथ, अनुसचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र श्री राजाराम, निवासी-के0-47ए, सै0-9, विजयनगर गाजियाबाद।
2. श्रीमति सविता शर्मा पत्नी श्री विनोद शर्मा, निवासी-ग्राम व पोस्ट रजापुर
गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

चूंकि ऊपर नामांकित वादी ने इस न्यायालय में विक्रय विलेख निरस्तीकरण हेतु वाद
योजित किया है अत एवं आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उस आवेदन
के खिलाफ हेतु संदर्शित करने के लिये बतारीख 09.08.2019 बवक्त 10 बजे दिन में
स्वयं या सम्पक अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजाता हो और ऐसा करने में
असफल रहने पर उक्त आवेदन एकपक्षीय सुना जायेगा और आवधारित किया
जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित आज बतारीख 27.07.2019 को जारी
किया गया है।

दिनांक:

आदेशानुसार
मुसरिम / रीडर

न्यायालय त्वरित न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), गाजियाबाद